न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

PDS Dealer's License Can. Appl.No.-01/2024-25

तकलीमा बीबी वगैरह
बनाम
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता 1.तकलीमा बीबी, पति–साइद होसेन, 2.रूहीदा बीबी, पति–रब्बेकुल शेख एवं 03.ममताज बीबी, पति–फजल शेख, तीनों सा0–चापतुरा, पंचायत–कानीझाड़ा, प्रखण्ड–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से इस्लाम स्वयं सहायता समूह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–07/12 के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 1318/जि0आ0, दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया। वर्णित वाद में दिनांक–13.09.2024 को सुनवाई करते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकृत के बिन्दु पर अस्वीकृत किया गया। दिनांक–13.09.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(C) No.367/2025 दायर किया गया एवं उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्तागण के द्वारा दिनांक 11.03.2025 को समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए पक्षकारों को सूचना निर्गत की गयी। साथ ही संबंधित अभिलेख/संचिका की मांग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ से किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ से इस्लाम स्वयं सहायता समूह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–07/12 से संबंधित संचिका प्राप्त हुआ। तदोपरांत वाद सुनवाई की निर्धारित तिथि 25.04.2025 को इस्लाम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, शिकायतकर्त्ता, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क को सुनकर अभिलेख अंतिम आदेश हेतु निर्धारित किया गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। अपीलकर्त्ता का कहना है कि अपीलकर्त्तागण इस्लाम स्वयं सहायता समूह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–07/12 के अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष हैं एवं उनके द्वारा विगत बारह वर्षों से उनसे सम्बद्ध कार्डधारियों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण वगैर किसी शिकायत का किया जा रहा है, परन्तु कुछ बिचौलियों द्वारा लाभुकों को बहला–फुसलाकर शिकायत आवेदन

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार्... टिप्...
1	2	

पर हस्ताक्षर एवं टिप निशान लेते हुए शिकायत आवेदन समर्पित किया गया एवं इसके आधार पर ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अपीलकर्त्ता के जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किया गया। इनका कहना है कि समिति के सदस्यों के द्वारा माह सितंबर 2023 में खाद्यान्न का वितरण 99% लाभुकों के साथ किया गया है एवं उनके द्वारा कभी भी उनसे संबद्ध कार्डधारियों के साथ दुर्रव्यवहार नहीं किया जाता है। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा उन्हे आवंटित खाद्यान्न का कभी भी र्दुपयोग नहीं किया गया है। साथ ही आवंटित खाद्यान्न के कालाबाजारी अथवा गबन किये जाने संबंधी उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनके जीविकोपार्जन हेतु उनकी जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति ही एक मात्र आधार है, जिनसे प्राप्त आय पर उनका जीविका निर्भर है। इस हेतु इनके द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

वाद के विपक्षी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के साथ–साथ तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर (नोरिक रविदास) के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क को सुना। उनके द्वारा कहा गया है कि इस्लाम स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध ग्राम चापतुड़ा के 56 कार्डधारियों द्वारा समर्पित शिकायत पत्र के आलोक में किये गये जाँच के उपरांत समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर इस्लाम स्वयं सहायता समूह से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। इनके विरूद्ध मूल रूप में आरोप है कि इनके द्वारा कार्डधारियों के साथ अभर्द व्यवहार करना, कार्डधारियों का टिप निशान लेने के उपरांत भी माह अगस्त 2023 एवं सितम्बर 2023 का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराना, खाद्यान्न गबन कर कालाबाजारी करने हेतु लाभुकों का टीप निशान लेने के उपरांत भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराना, भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं शिकायत पंजी अद्यतन नही रखना आदि शामिल है।

दिनांक–25.09.2025 को न्यायालय में इस्लाम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ–साथ शिकायतकर्त्ता, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर उपस्थित हुए। उपस्थित महिला (शिकायतकर्त्ता) के द्वारा राशन प्राप्त होने में असुविधा होने का उल्लेख किया गया। इस्लाम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा क्षमा प्रार्थना करते हुए भविष्य में भूल नहीं करने की बात कही गयी। तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर के द्वारा बताया गया है कि वर्णित वाद में कोई प्राथमिकी/गबन संबंधित (दर्ज) नहीं किया गया है, परन्तु इस्लाम स्वयं सहायता समूह

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3

से संबंधित संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इनके विरूद्ध काफी लंबे समय से (वर्ष 2016, 2019 एवं 2023) बारम्बार इस्लाम स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध व्यवहार गलत करने, कम राशन, किरासन तेल में कटौती की शिकायत प्राप्त हुई है, जिससे वर्तमान अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा सही ढंग से दुकान संचालन ना करना प्रतीत होता है। इस्लाम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शपथ–पत्र के साथ आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया गया कि वे शिकायतकर्त्ता, जो उनसे सम्बद्ध लाभुक (कार्डधारी) हैं, के साथ–साथ उनसे सम्बद्ध सभी कार्डधारियों को उनसे राशन लेने में परेशानी नहीं होगी। इस्लाम स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के द्वारा दिनांक–28.04.2025 को इस आशय का शपथ–पत्र के साथ–साथ आवेदन पत्र समर्पित किया गया एवं इस आधार पर इस्लाम स्वयं सहायता समूह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–07 / 12 के वर्तमान अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, जो वर्णित वाद के अपीलकर्त्ता हैं, को उनके पद से हटाया जाता है एवं इस्लाम स्वयं सहायता समूह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–07 / 12 के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक–1318 / जि0आ0, दिनांक–04.10.2023 को निरस्त किया जाता है।

इस्लाम स्वयं सहायता समूह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–07 / 12 के वर्तमान अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर उक्त स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्यों के मध्य अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नियमानुसार रूप से चयन करने के पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़, इस्लाम स्वयं सहायता समूह को राशन का आवंटन उपलब्ध करायेंगे एवं उपलब्ध कराये गये आवंटन के आधार पर नवचयनित अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के माध्यम से जनवितरण प्रणाली दुकान का संचालन अपने सतत् निगरानी में कराते हुए उनसे सम्बद्ध कार्डधारियों को वगैर किसी व्यवधान का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण सुनिश्चित करायेंगे। वर्णित वाद के अपीलकर्त्तागण इस्लाम स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में बने रहेंगे।

आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़, जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम लिमिटेड, पाकुड़ को अनुपालन हेतु भेंजे। वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2025.09.01 13:13:00 +05:30
Location: 10.93.52.29

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़